

प्रेषक,
निदेशक,
मत्स्य विभाग
उ०प्र०, लखनऊ।
सेवा में,

1. आहरण वितरण अधिकारी
मत्स्य निदेशालय लखनऊ।

पत्रांक: 1966 / लेखा शा० /

दिनांक

30/7/2012

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ परियोजना हेतु जनपदों / मण्डलों को उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का विवरण :-
महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं०- 1007 / 12-3-12-100(47) / 2012 दिनांक 25-05-2012 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ परियोजना हेतु स्वीकृत रू० 11.17 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के अनुसार बजट आवंटन किया जाता है:-

वित्तीय वर्ष 2012-13

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ परियोजना हेतु जनपदों / मण्डलों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का विवरण :-

(लाख रूपये में)

क्रमांक	जनपद का नाम	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	स्वीकृत / उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि
1.	आहरणवितरण अधिकारी मुख्यालय		11.17
	योग-		11.17 लाख (रूपया ग्यारह लाख सत्रह हजार मात्र)

1. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। दूसरी किश्त का आहरण प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त किया जायेगा।
2. निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में यथा आवश्यक पी०एफ०ए०डी० का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग सक्षम स्तर से अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप एवं निदेशालय द्वारा निर्गत संगत दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय- व्ययक अनुदान सं०- 11 के लेखा शीर्षक 4401- फसल कृषि क्रम पर पूंजीगत परिव्यय - आयोजनागत -800 - अन्य व्यय -03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - 04 - कृषि विकास के लिए सम्वर्गीय क्षेत्र की पूंजीगत योजनायें - 24 बृहद निर्माण मानक मद के नामें डाला जायेगा।
7. यह बजट आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- - पर अंकित है।
संलग्नक- यथोपरि (2)

- भवदीय

६०/-

(डी०के०सिंह)


निदेशक मत्स्य, उ०प्र०
लखनऊ।

पत्रांक: 1966 / लेखा शा० /

दिनांक 30/7/2012

1. सम्बन्धित कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
2. आहरण वितरण अधिकारी मत्स्य निदेशालय लखनऊ।
2. नोडल अधिकारी आर०के०वी०वाई० मत्स्य निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया धनराशि के उपयोग हेतु संगत दिशा निर्देश शीघ्र जारी करने का कष्ट करें।
3. कृषि निदेशक / नोडल अधिकारी आर०के०वी०वाई० कृषि भवन, लखनऊ।
4. उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ।
5. उप सचिव, कृषि अनुभाग-3 को शासन के पत्र सं०- 1007 / 12-3-12-100 / (47) / 2012, दिनांक 25-05-2012 के क्रम में।
6. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।
7. वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल जवाहर भवन, लखनऊ।
8. कोषागार निदेशालय, उ०प्र०, दसवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल में रखने हेतु।
10. श्री अन्शुमान सिंह, कम्प्यूटर सेल (मु०) को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु।

9
31.7


(आत्म प्रकाश बाजपेई)
वित्त एवं लेखाधिकारी
मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।